15/3/24 व: प्रार्थी/वादी अमोनीविरुद्ध तलाक के आपसी सहमति आधार पर तलाक हेतु तथा इसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आगे की जाने साथ ही वहकी प्रार्थी के अधिवक्ता/की सुनी जाये। निवेदन प्रार्थी के अधिवक्ता/के आधार

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 18:45:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

उपाध्यक्ष नाम रामेश्वरी देवी एवं०

न्यायालय

संख्या 78/2017 प्र.पत्र 09 ता 9.

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

अधिवक्ता/ वादी के अनुपस्थित होने के कारण न्यायालय के उपस्थित नहीं हो सका/ निवेदन अधिवक्ता/ वादी की ओर से है/ वादी का वाद दोषपूर्ण, इनाम दुरुस्ती व कब्जे दिलाये जाने का वाद न्यायालय के द्वारा पुनर्स्थापित नहीं करने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी/ निवेदन की प्रति कटे सम्मन नहीं होगी/ प्रार्थी का प्र.पत्र स्वीकार करने योग्य है/

अधिवक्ता/ प्रार्थी की बहस पर मनु किया गया/ पत्रावली का अवलोकन किया गया/ प्रार्थी का वाद दोषपूर्ण इनाम दुरुस्ती व कब्जे दिलाये जाने का दो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी का प्र.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है/ अतः प्रार्थीगण का प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का वाद पुनः इस किया जाकर रेकार्ड [illegible] किये जाने हेतु [illegible] होकर इस [illegible] हो वाद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 18:45:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner